

प्रपत्र संख्या 25

न्यायालय.....

कौी सेवा में

.....में अभिलेखों के साधारण निरीक्षण के आदेश के लिये प्रार्थना-पत्र
(अध्याय 9 नियम 233)

प्रार्थी तथा उसके अभिकर्ता का नाम	ग्रामले का विवरण निरीक्षण प्रार्थित है या दस्तावेज का	क्या सम्पूर्ण पत्रावली का अथवा किसी विशेष कागज	क्या प्रार्थी पक्षकार है अथवा उसके अभिकर्ता (एजेन्ट)	यदि प्रार्थी पक्षकार है अथवा उसका अभिकर्ता न हो तो कारणों से वह निरीक्षण चाहता है

दिनांक

अधिवक्ता अथवा वकील